Shodhshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2023 SHISRRJ | Volume 6 | Issue 3 | ISSN : 2581- 6306

बाल श्रम - एक सामाजिक अपराध

कविता कनौजिया

असि. प्रो. समाजशास्त्र विभाग, उपाधि महाविद्यालय, पीलीभीत

Article Info

Publication Issue :
May-June-2023
Volume 6, Issue 3

Page Number : 60-63

Article History
Received : 20 May 2023
Published : 30 June 2023

शोध सारांश - वर्तमान समय मे बाल अपराध की समस्या समाज में एक चुनौती बन कर उभरी है। बाल अपराध एक ऐसी समस्या है जो मूल रूप से परिवार और समुदाय के विघटन का परिणाम है। बाल श्रम के (निषेध और विनियमन) अनेको अधिनियम जैसे- कारखाना अधिनियम (1998), किशोर - न्याय (देखभाल और संरक्षक) बाल अधिनियम (2000) आदि चलाये गये, जिससे बाल अपराध जैसी समस्या को कम किया जा सके। भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में अनेको कदम उठाए गए है। बच्चों की परीक्षा एवं उनकी बेहतरी के अनेक कार्यकम एवं नीतियाँ बनाई गयी है। जिससे बच्चे के भविष्य को कुछ हद तक सुरक्षित किया जा सकता है।

मुख्य शब्द:- बाल अपराध, बाल-श्रम, स्थिति,समाजशास्त्रीय।

प्रस्तावना

बाल श्रम- बालक से अभिप्राय है, कि वह जो 14 साल की उम्र का हो तथा श्रम का तात्पर्य है किसी आर्थिक उत्पाद न की क्रिया में प्रतिभागिता । अत: आर्थिक उत्पादित क्रियाओं में सशुल्क सहभागिता रखने वाले 14 वर्ष तक की आयु के बालक बाल-श्रम की श्रेणी में आते हैं । किन्तु चूंकि 5 वर्ष की आयु के बच्चे इतने बड़े नहीं होते कि वे भुगतान या लाभ के लिए आर्थिक गतिविधियों में लग सकें इसलिए सामान्यतया 5 वर्ष से 14 वर्ष की आयु वर्ग के श्रमिकों को बाल-श्रम के अन्तर्गत माना जाता है। भारतीय कारखाना अधिनियम , 1948 की धारा 2 सी के अनुसार, जिस व्यक्ति ने अपनी आयु का 14वां वर्ष पूर्ण नहीं किया हो वह बाल क की श्रेणी में आयेगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को किसी कारखाने, खनन या जोखिम पूर्ण कार्य में नहीं लगाया जा सकता और न ही उनसे कोई भी आर्थि क कार्य मानसिक व शारीरिक रूप से नहीं लिया जा सकता। भारत वर्ष में बाल-श्रम का उपयोग अर्थव्य वस्था के अनेक क्षेत्रों में किया जाता है किन्तु चिन्ताजनक यह है कि कुछ जोखिमपूर्ण तथा खतरनाक उद्यो गों में भी बाल-श्रम नियोजित है । इस कारण बाल- मजदूरों का नैसर्गिक, शारीरिक एवं मानसिक विका स नहीं हो पाता और परिणाम स्वरूप उनकी वर्तमान क्षमता का दुरूपयोग होता है।

भारत में बाल-श्रम के निम्न कारण है- निरक्षरता :- यह सबसे बड़े कारणों में से एक है। यदि कोई बच्चा वित्तीय या सामाजिक कारणों से शिक्षा प्राप्त करने

में असमर्थ है, तो उसके मजदूरी पर काम करने और परिवार की मदद करना ही एक विकल्प है।

Copyright: © the author(s), publisher and licensee Technoscience Academy. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

गरीबी:– बाल–श्रम एक ऐसी समस्या है जो गरीबी से बहुत प्रभावित है, आर्थिक तगी और गरीबी से उबर ने के लिए माता–पिता अपने बच्चों से पैसों के लिए काम कराने को मजबूर हैं।

बंधुआ मजदूर:- पारिवारिक ऋण या दायित्व चुकाने के लिए बच्चो को इस प्रकार के बाल श्रम में का म करने के लिए मजबूर किया जाता है। बंधुआ मजदूरी के कारण गरीब बच्चों को ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में घरेलू नौकर के रूप में काम करने, छोटे निर्माण घरों आदि में कामकरायाजाताहै

भारतीय बाल श्रम अधिनियम 1986 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चो को किसी भी कारख नों में काम कराने पर प्रतिबंध है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चो को घरेलु मदद के रूप में भी काम नही कराया जा सकता है

"हर बच्चे को बच्चा बनने की आजादी दें।" - कैलाश सत्यार्थी

बाल अपराध- कोई बालक जन्म से अच्छा या बुरा नही होता, सामाजिक परिस्थितियां जैसे–निर्धनता, अशिक्षा, पर्यावरण । परिवार, मित्र– मण्डली एवं अन्य कुछ कारक बालक को समाज में समायोजित करते हैं। सामाजिक सम स्याओं में संस्कृति को निरन्तरता और वर्तमान समाज में हो रहे लगातार परिवर्तन दोनों का ही प्रभाव पड़ता है । यदि सामाजिक व्यवस्था में हो रहे परिवर्तनों की गति धीमी हो और यदि इन परिवर्तनों का समाज के प्रत्येक अंग के विकास में बराबर का प्रभाव पड़ता हो तब इन दशाओं में सामाजिक विघटन का प्रभाव बहु त कम परिलक्षित होता है। वास्तव में समस्याओं का जन्म मुख्य रूप से तेज या असामान्य परिवर्तनों से हो ता है, जिनके कारण समय के बदलते हुए परिवेश में पर्याप्त सामाजिक सामंजस्य नहीं रहा है। जिन बालकों का समाज के साथ सकारात्मक समायोजन हो जाता है वे श्रेष्ठ बन जाते हैं। इसके विपरीत वे बालक जो किन्हीं कारणों वश समाज से अपना उचित समायोजन नहीं कर पाते हैं वे ही असामाजिक गतिविधियों में लिप्त हो जाते हैं तथा अपराध करते हुए पकड़े जाने पर बाल अपराधी के रूप में चिन्हित हो जाते हैं । बार्नस (1939) के अनुसार "आवश्कता और लालच अधिकतर अपराधों की व्याख्या करते है । हीली ने परिभाषित किया कि एक बच्चा जो कि सामान्य व्यवहार के लिए निश्चित किये गये मानकों से विचलित होता है, उसे पथभ्रष्ट बालक कहा जाता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि एक अपराधी बच्चा असामाजिक गतिविधियों में संलग्न रहता है एवं सामाजिक मानकों का उल्लंघन करता है। और 12–18 वर्ष की आयु समूह का किशोर बच्चा है जो कि किशोर न्यायालय द्वारा उसके आपराधिक व्यवहार के लिए विविध दण्डसंहिता के अधीन दण्डित किया गया है।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने बाल श्रम की वैश्विक सीमा और इसे खत्म करने के लिए आवश्यक कारवाई और उपायों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 12 जून को विश्व बाल श्रम विरोधी दिवसकाशुभारंभकिया। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस को मनाने का अभिप्राय पूरे विश्व को बाल श्रम के विरुद्ध जागृत करना एवं बच्चों को बाल मजदूरी से बचाना है

'यह बचपन का शोषण है जो बुराई का निर्माण करता है। मानव हृदय के लिए सबसे असहनीय हैं " । सामाजिक कानून में गंभीर काम हमेशा बच्चों की सुरक्षा के साथ शुरू होता है।" अल्बर्ट थामस

समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण- समाज में रहने के लिए सामाजिक प्रतिबन्धों के अन्दर रहना अनिवार्य हैं, इस दृष्टिकोण के कारण ही युवाओं में असामाजिक घटनाओं को बल मिला है। आधुनिक युग बालकों का युग कहा जाता है, क्योंकि आज के बालक कल के नागरिक हैं। उन्हें भविष्य में नागरिक जीवन में प्रवेश कर देश तथा समाज की कमान सम्भालनी होती

है। प्रत्येक समाज में व्यक्ति के व्यवहार के निर्धारित माप होते हैं। इस समाज व्यवस्था से विपरीत कार्य करने को सामाजिक दृष्टिकोण से अपराध माना जाता है। ठीक इसी प्रकार जो बालक सामाजिक हित के विरूद्ध कार्य करते हैं उसे समाज के कानून की दृष्टि से अपराधी घोषित किया जाता है तो इस प्रकार के बालक को अपराधी या असामाजिक के नाम से सम्बोधित किया गया। इस प्रकार बालकों अथवा प्रौढ़ों द्वारा किए गए समाज विरोधी अथवा अवैधानिक व्यवहार को जो सरकार को कुछ कार्यवाही करने के लिए बाध्य कर देता है, बाल अपराध कहा जाता है। 5 वर्ष की आयु से लेकर 18 वर्ष की आयु के बालकों को बाल अपराध की श्रेणी में रखा है। भारत में 1 897 में निर्मित रिफश्वरमेट्र स्कूल में 15 वर्ष की आयु तक के बालक के असामाजिक व्यवहार को बाल- अपराध कहा गया है।

गिलिन एवं गिलिन के अनुसार :- "समाजशास्त्र की दृष्टि से बाल अपराध एक ऐसा व्यक्ति है, जिस के व्यवहार को समाज अपने लिये हानिकारक समझता है और वह उसके द्वारा निषिद्ध है । "

न्यूमेयर के अनुसार- "एक बाल अपराधी निर्धारित आयु से कम का वह व्यक्ति है जो समाज-विरोधी क कार्य करने का दोषी है, और जिसका दुराचरण कानूनकाउल्लघनहै।"

मोवरर के 'अनुसार:- " वह व्यक्ति जो जान-बूझकर इरादे के साथ तथा समझते हुए उस समाज की रूढ़ि यो की उपेक्षा करता है, जिससे उसका सम्बन्ध है, बाल अपराधी कहलाता है।"

उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है, कि बात - अपराध के अन्तर्गत बालूको के असमाजिक व्यवहारों को लिया जाता है। बालकों के ऐसे व्यवहार जिससे समाज के व्यवहार नियामक आदेशों एवं आदर्शों का उल्लंघन होता है और जिससे सामाजिक संगठन को क्षति पहुँचती है, इन व्यवहारों को बाल- अपराध की श्रेणी में रखा जाता है।

रोबिनसन के मत में आवारागर्दी, भीख मांगना, दुर्व्यहार, और उदण्डता, बाल- अपराधी के लक्षण है।

सेठना के अनुसार - " किसी बालक या तरूण के द्वारा किये गये गलत या अनुचित कार्य जो कि सम्बन्धित स्थान के कानून (जो उस समय लागू हो) के द्वारा निर्दिष्ट आयु-सीमा के अन्दर आते हो, बाल-अपराध की श्रेणी में आते है। "

सोल रूविन ने (1949) बाल - अपराध के कानूनी अर्थ को एक पंक्ति व्यक्त करते हुए लिखा है कि कानू न जिस कार्य को बाल अपराध मानता है, वहीं बाल अपराध है। "

हमारे भारत देश मे कस्बों और ग्रामों की तुलना नगरों और महानगरों में बाल- अपराध अधिक होते हैं। बड़े शहरो और महानगरों जैसे कोलकाता, दिल्ली, मुम्बई, लखनऊ, कानपुर, हैदराबाद आदि मे बाल अपराध अधिक होते है । शहरी और महानगरों का भीड़-भाड़ युक्त वातावरण मादक द्रव्यों एवं नार्कोटिक ड्रग्स को उपलब्धता, गन्दी बस्तियाँ एवं नितान्त गरीबी, अपराधी उप-संस्कृति आदि बाल - अपराध को प्रोत्साहित करते है।

अध्ययन का उद्देश्य- बालकों का दक्षतापूर्ण पालन-पोषण एवं विकास किया जाना आर्थिक-सामाजिक विकास हेतु अपरिहार्य है। हमारे देश के संविधान में उल्लिखित नीति-निर्देशक तत्वों में भी व्यक्ति के बचपन को कुंठाओं तथा उत्पीड़न से बचाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किये गए है। भारतीय संविधान की धारा 39 (च) में स्पष्ट उल्लेख है कि बच्चों का शोषण से संरक्षण हो । संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारों में से एक शोषण के विरूद्ध अधिकार के अन्तर्गत अनुच्छेद 24 में व्यवस्था की गई है, कि 14 वर्ष तक की आयु वाले किसी बच्चे को किसी कारखाने, खान या अन्य किसी जोखिमपूर्ण नौकरी में न लगाया जाए। बाल श्रम एक्ट 1986 इत्यादि बच्चों के अधिकारों को सुरक्षित रखने हेतु भारत सरकार की पहल को दर्शाते है।

भारतीय संविधान के-

अनुच्छेद - 19 बच्चो को सभी प्रकार की शारीरिक, मानसिक चोट पहुँचाने वाली हिंसा, लापरवाही, दुर्व्यवहार शोषण से बचाना चाहिए।

अनुच्छेद - 27 बच्चों के शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, नैतिक और सामाजिक विकास के लिए पर्याप्त जीवन स्तर के प्रत्येक बच्चे को अधिकार है।

अनुच्छेद- 31 आर्थिक शोषण से बच्चे की सुरक्षा का अधिकार और ऐसा कोई भी काम करने से जो खतरनाक हो सकता है या बच्चे की शिक्षा में बाधा उत्पन्न कर सकता है, से बच्चों का बचाव करना ।

अनुच्छेद- 11 प्रत्येक बच्चे को शिक्षा का अधिकार है। बच्चे की शिक्षा को निर्देशित किया जाएगा।

अनुच्छेद- 45 राज्यो का कर्तव्य है, कि वे बच्चों हेतु आवश्यक एवं निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करें ।

निष्कर्ष:- बाल अपराध की बढ़ती घटनाओं को रोकने का भरसक प्रयत्न समय-2 पर हो रहा है । परन्तु इन तमाम कोशिशो के बावजूद बाल अपराध की गंभीर समस्या बनी हुई है 14 वर्ष तक के बालकों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान कर देने और बालको के हित में तरह-2 के कानून बना देने के बाद भो बाल - अपराध की दर स्थिर बनी हुई हैं। बाल- अपराध की उत्पत्ति में बालक के पारिवारिक और सामाजिक परिस्थितियों को महत्वपूर्ण भूमिका होती हैं। क्योंकि बालक को घर, पड़ोस, स्कूल आदि के द्वारा निरन्तर सहयोग और सहानुभूति की आवश्यकता होती है। परिवार और समाज से इसके अभाव में बालक कुण्ठाग्रस्त और तनावग्रस्त होकर अपराधी गतिविधियों में सलग्न हो सकता है। अत: ऐसे बालकों के माता-पिता को बालकों को स्कूल मे भेजने तथा उन्हें पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना होगा, जिससे ये बालक, कारखानों, दुकानों आदि पर बाल-श्रम न करे। परिवार, समाज और सरकार सबको अपनी-अपनी जिम्मेदारियाँ निभानी होगी, तभी देश के इन नौनिहाल कर्णधारों को सफल और जिम्मेदार नागरिक बनाया जा सकता है।

संदर्भ -

[1]. Ahuja ram 1992 'Social Problems in India,' Rawat Publication,

[2]. Jaipur.

[3]. Bagulia, AM. 2006. 'Child and Crime, SBS.

[4]. Singh, R.S. 1948. Juvenile Delinquency in India.

[5]. www.devedunotes.com

[6]. https://Social-work.in

[7]. डा0 एस. पी. एल. श्रीवास्तव, श्री राम यादव, डा्. नमृता प्रसाद बाल-अपराध मुद्दे एवं चुनौतियां । वाल-श्रम एवं

[8]. rkrstudy.net बाल अपराध क्या है ?

[9]. BHAKHRY, SAVITA. 2006 'Children in India andtheirright.